न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, बाडी, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– नीरज कुमार R.J.S.(D.J.Cadre)
मुत0 फौज0 प्रकरण संख्या :– 513/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 408/22 पुलिस थाना बसेडी
अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 504, 506, 325, 307 भा॰दं॰सं॰

निवास उर्फ रामनिवास पुत्र सामन्ता उम्र 52 साल निवासी मौहारी थाना बसेडी जिला धौलपुर।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक बाड़ी **–अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.

उपस्थिति :

1. श्री जगनलाल, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक राज. राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 15.11.2022

न्यायालय द्वारा

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं॰प्र॰सं॰ के तहत न्यायालय में पेश किया।

2. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक को सुना, केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का बहस में कथन है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी को मौके से नहीं पकड़ा गया है, न ही कोई बरामदगी हुई है। प्रार्थी कहीं भागकर नहीं जा सकता है। प्रार्थी जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.08.22 को परिवादी मुकेश ने एक तहरीर थाना बसेडी पर पेश कर निवेदन किया कि कल रात्रि 07 बजे वह अपने घर पर था, उसका छोटा भाई पप्पू मजदूरी करने पास के गांव में गया था। घर पर उसके छोटे भाई की बहू शारदा मय बच्चों के साथ थी। पुरानी रंजिश को लेकर उनके घर पर श्रीनिवास, दीपक, अभिताव बच्चन, भीमसेन, संजय, सोरन, हरिश्चंद, श्रीनिवास की पत्नी, जगदीश की पत्नी वीरो, राजू की पत्नी नारायनी, हरिश्चंद एवं उग्रसेन की पत्नी एक राय मशविरा करके घर पर चढ़ आये जिनके हाथों में लाठी, सरिया, फरसा थे एवं औरतों के हाथों में पत्थर थे, जिनमें श्रीनिवास के पास सरिया, दीपक के पास लाठी, अभिताव के पास सरिया, भीमसेन के पास लाठी, संजय के पास लाठी, सोरन के पास लाठी, हरिश्चंद के पास सरिया था जिन्होंने घर पर आकर गालिया दी, शारदा ने मना किया तो सभी लोग उत्तेजित हो गये व शारदा के साथ मारपीट करने लगे व उसके साथ अश्लील हरकतें एवं अभद्र व्यवहार करने लगे। जब उसने हल्ला

मचाया तो उसका भतीजा आकाश, सन्दीप आ गये और शारदा को बचाने लगे तो अभिताव ने लाठी सिर में भतीजे आकाश के मारी, भीड़ देखकर पप्पू भागकर आया तो श्रीनिवास ने जान से मारने के लिए सिर में सरिया मारा और सभी ने उसके भाई के शरीर में लाठी, डण्डा व सरिया मारे जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटें आयीं..... आदि। उक्त तहरीर पर मुकदमा संख्या 408/22 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 504, 506 भा.दं. सं. में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्त को जुर्म धारा 323, 341, 325, 307, 504, 506 भा.दं.सं. में लिप्त पाये जाने पर दिनांक 30.10.22 को गिरफ्तार किया गया जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 325, 307, 504, 506 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित है।

6. केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 325, 307, 504, 506 भा.दं.सं. का आरोप है। केस डायरी में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण दर्ज होना प्रकट नहीं होता है, परंतु प्रकरण में परिवादी मुकेश ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट व अपने धारा 161 दं.प्र.सं. में एवं मजरूबान पप्पू, आकाश व गवाह हरीश ने अपने धारा 161 दं.प्र.सं. के बयानों में अभियुक्त निवास उर्फ रामनिवास द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में लाठी, डण्डा, सरिया लेकर आना और मजरूबान के शरीर व सिर में लाठियों व सरियों से जान से मारने की नीयत से वार कर अस्थिभंग कारित करना कथन किया है। मजरूब आकाश के चोट प्रतिवेदन से उसके दो चोटें साधारण प्रकृति की आना एवं मजरूब पप्पू के चोट प्रतिवेदन के अवलोकन से उसके कुल 05 चोटें आना जिनमें से चोट सं.05 गंभीर प्रकृति की एवं चोट सं.01 व 04 को चिकित्सक द्वारा प्राणघातक होना बताया गया है। उक्त दोनों प्राणघ ातक चोटें मजरूब पप्पू के सिर में आयी हैं तथा मजरूब पप्पू के सिर में अभियुक्त द्वारा सरिया से प्रहार करना गवाहन ने कथन किया है। दौराने अनुसंधान अभियुक्त की निशादेही से एक सरिया लोहा बरामद किया गया है। अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, मजरूब पप्पू की चोटों की प्रकृति एवं अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किये यह न्यायालय इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नही मानता है।

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त निवास उर्फ रामनिवास पुत्र सामन्ता उम्र 52 साल निवासी मौहारी थाना बसेडी जिला धौलपुर की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 439 दं॰प्र॰सं॰ अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(नीरज कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश,
बाड़ी, जिला धौलपुर

8. यह आदेश आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नीरज कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश,
बाड़ी जिला धौलपुर